वित्त निर्देश 02/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 20 /सी-903/वित्त/नियम/चार/2005, रायपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का राज्य शासन के शासकीय सेवकों के वेतन में दिनांक 1.4.2007 से विलय ।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2007 से राज्य के शासकीय सेवकों के मौजूदा मूल वेतन में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में करने तथा इसे महंगाई वेतन के रूप में अलग से दर्शाने का निर्णय लिया गया है । इसके पश्चात् राज्य के शासकीय सेवकों को मूल वेतन एवं महंगाई वेतन पर 24 प्रतिशत महंगाई भत्ते की पात्रता होगी ।

2. उक्त महंगाई वेतन की राशि महंगाई भत्तो तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपदान (DCRG) के अतिरिक्त किसी अन्य भतते अथवा हितलाभ की गणना हेतु वेतन का भाग नहीं माना जावेगा ।

3. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 11(1)(बी) के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि अभिदान की दर निर्धारण हेतु उक्त महंगाई वेतन उपलब्धियों में शामिल होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 21/सी-903/वित्त/नियम/चार/2005, रायपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2007

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग